EMERGENCIES COME
WITHOUT WARNINGS
HELP US HELP YOU ON TIME

EMERGENCY HELPLINE
**4269 9999**

**Appointments**
Tel.: (91-22) 4269 6969

**Executive Health Checkups (EHC)**
Tel.: (91-22) 4336 6666

**Toll Free Number:** 180030003333

**FULL TIME DOCTORS
FOR FULL TIME CARE**

This information is intended for
**AWARENESS PURPOSES ONLY**

Kokilaben Dhirubhai Ambani
hospital & medical research institute
*Every Life Matters*

Four Bungalows, Andheri (W), Mumbai - 400 053, India
www.kokilabenhospital.com
/KokilabenHospital /KDAHMumbai
/kokilabenhospital

A social initiative by
RELIANCE

Sept.2021

Kokilaben Dhirubhai Ambani
hospital & medical research institute
*Every Life Matters*

# समझें
# अंग दान को

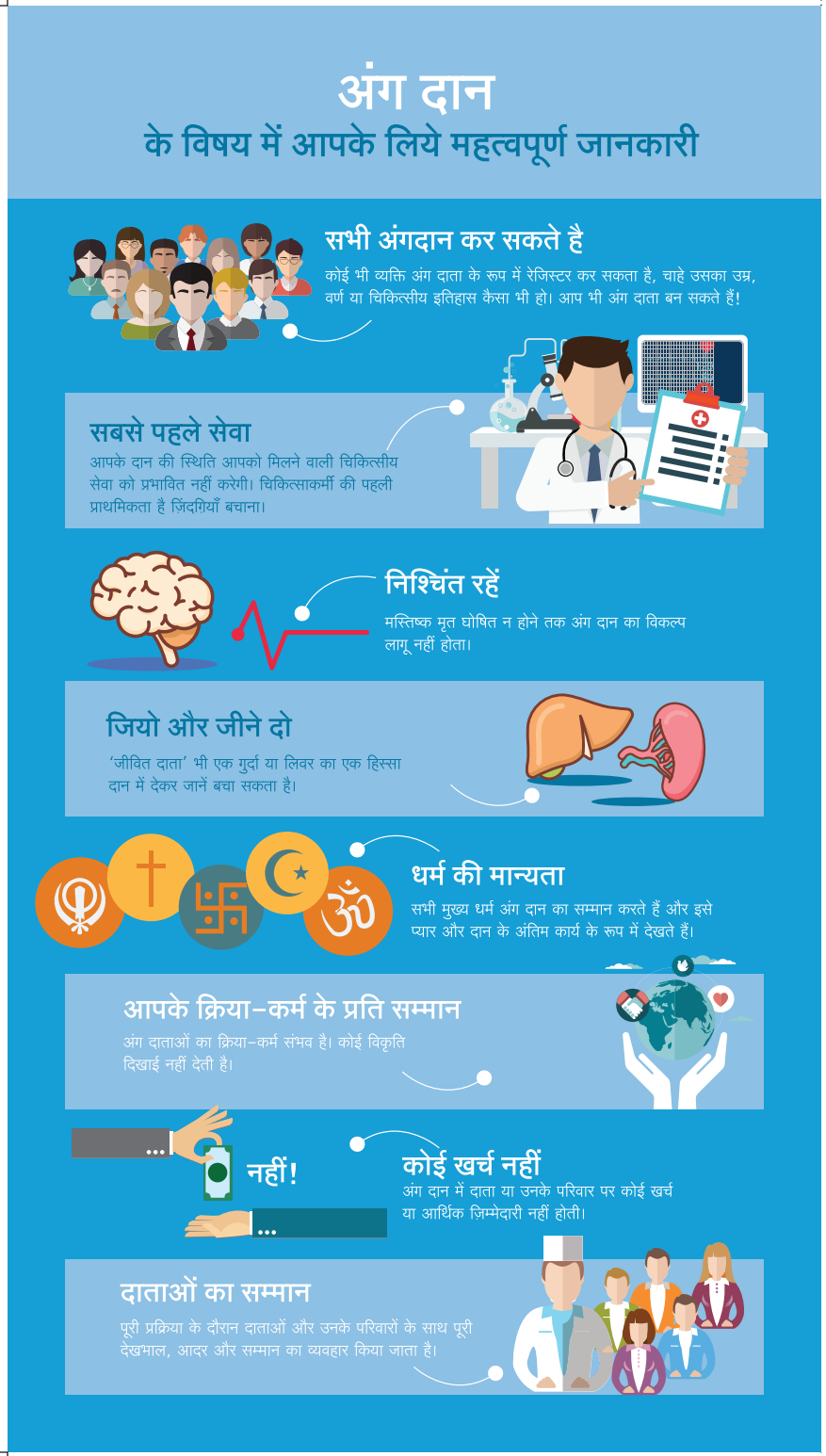


अंग दान तब होता है, जब कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर अंगों की बीमारी के अंतिम चरण से पीड़ित किसी दूसरे व्यक्ति को दान देने के लिये अपने शरीर से किसी अंग को निकालने की अनुमति देता है। यह दाता के जीवित रहने पर उसकी अनुमति से या उसकी मृत्यु के बाद करीबी रिश्तेदार की अनुमति से किया जाता है। अंग देने वाले व्यक्ति को दाता कहते हैं, जबकि अंग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता कहा जाता है। पहले दाता के किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित रहने पर भी कई स्थितियों में दान जान बचा सकता है।

## अंग दान के विभिन्न प्रकार

### मृत अंग दान

मृत अंग दान तब किये जाते हैं जब किसी व्यक्ति को मस्तिष्क मृत घोषित कर दिया गया हो या उसकी मृत्यु हृदय की समस्या से हुई हो। उन्हें कैंसर, एचआइवी, हेपाटाइटिस बी या सी, टीबी और अन्य बीमारियाँ होने पर अंगों का दान नहीं किया जा सकता। व्यक्ति द्वारा अंग दान की स्वीकृति दी गयी होने और दाता कार्ड होने के बाद भी करीबी रिश्तेदार या शव पर कानूनी अधिकार रखने वाले व्यक्ति की अनुमति अंग दान के लिये अनिवार्य है। मस्तिष्क मृत दाता दो गुर्दों, लिवर, हृदय, दो फेफड़ों, पैनक्रियाज़, आँत, हड्डियों और आँखों का दान कर सकते हैं।

### जीवित अंग दान

जीवित अंग दान व्यक्ति के जीवित रहने पर होता है। अगर आप 18 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के हैं तो आप अपने अंगों और टिशूज़ का दान करीबी रिश्तेदारों को कर सकते हैं। रिश्तेदारों में माता-पिता, संतान, भाई-बहन, जीवनसाथी, दादा-दादी, नाना-नानी का समावेश होता है। अगर आप जीवित दाता बनना चाहते हैं, तो आप सिर्फ अपने गुर्दों और लिवर के एक हिस्से का दान कर सकते हैं।

**जीवित दाता ख़ून के रिश्तेदारों को गुर्दे और लिवर के एक हिस्से का दान कर सकते हैं और सामान्य जीवन जी सकते हैं**

## मृत्यु के प्रकार

### मस्तिष्क मृत

मस्तिष्क की मृत्यु दिमाग में लगी गंभीर चोट, हेमरेज या ट्यूमर के कारण होती है। मस्तिष्क के सभी हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, काम नहीं करते और बंद पड़ जाते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं होती। शरीर की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ कृत्रिम सपोर्ट सिस्टम द्वारा जारी रह सकती हैं, जो महत्वपूर्ण अंगों में रक्तस्राव बनाये रखे, ताकि अंगों और टिशू का दान संभव हो सके।

## हृदय मृत्यु

यह तब होता है जब हृदय और साँसें रुक जायें। परिणामस्वरूप शरीर के अन्य हिस्सों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और शरीर के टिशू रक्तप्रवाह की कमी के कारण अंत में मर जाते हैं। हृदय मृत्यु के बाद आँखों, त्वचा, हड्डियों और अन्य टिशूज़ का दान किया जा सकता है। यह स्थिति कम पायी जाती है क्योंकि इस स्थिति के संभव होने के लिये दाता का अस्पताल में और विशिष्ट परिस्थितियों में रहना आवश्यक है।

## मस्तिष्क मृत्यु और कोमा में होना अलग–अलग चीज़ें हैं

मस्तिष्क मृत्यु से अलग, कोमा गहरी बेहोशी की एक स्थिति है, जो मस्तिष्क में किसी तरह की चोट के कारण होती है। मस्तिष्क काम करता रहता है और किये गये परीक्षणों में इसकी पुष्टि की जा सकती है। कोमा का मरीज़ बिना रेस्पिरेटर के साँस ले सकता है। कोमा के दौरान मस्तिष्क ठीक हो सकता है। कोमा ठीक हो सकता है, जबकि मृत मस्तिष्क नहीं ठीक होने वाला कोमा है।

## भारत में दान से जुड़े तथ्य

प्रति वर्ष लगभग **500,000 भारतीयों की मौत अंग के इंतज़ार में** होती है

**200,000** लोग **लिवर ट्रांसप्लांट** का इंतज़ार करते हैं

**50,000** लोग **किडनी ट्रांसप्लांट** का इंतज़ार करते हैं

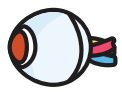

**10 लाख** लोग **कॉर्नियल ट्रांसप्लांट** का इंतज़ार करते हैं

भारत में **प्रति दस लाख जनसंख्या** के लिये **0.86 अंग दाता हैं**

## मृत्यु के बाद, इन अवधियों के भीतर अंगों का दान किया जा सकता है

- हृदय और फेफड़ों को 4 घंटों तक रखा जा सकता है
- लिवर को 10 से 12 घंटों तक रखा जा सकता है
- पैनक्रियाज़ को 4 से 6 घंटों तक रखा जा सकता है
- आँतों को लगभग 6 से 8 घंटों तक रखा जा सकता है
- गुर्दों को 20 से 24 घंटों तक रखा जा सकता है

## आप क्या दान कर सकते हैं

1 अंग दाता बचा सकता है
**6 जानें**
और
अधिकतम
9 जीवन

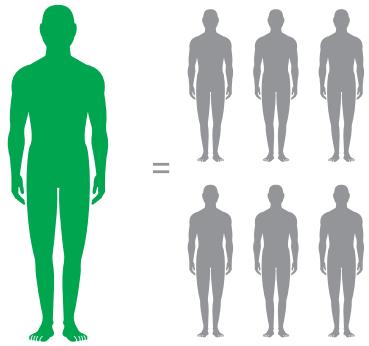

### अंग

गुर्दे

लिवर

हृदय

फेफड़े

आँतें

पैनक्रियाज़

### टिशूज़

कॉर्निया

हृदय के वॉल्व्स

हड्डियाँ

त्वचा

लिगामेंट्स

नसें

**अपने ट्रांसप्लांट सेंटर या अपने परिवार को बता कर अपने दान की स्थिति रद्द कर सकते हैं**

## दाता कैसे बनें

आप दाता कार्ड पर हस्ताक्षर करके और उसे साथ रख कर अपने अंगों का दान कर सकते हैं। ये कार्ड दूसरी मंज़िल, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन युनिट पर हमारे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स के पास उपलब्ध हैं।

आपके परिवार को भी यह बताना महत्वपूर्ण है कि आप दाता बनना चाहते हैं। किसी व्यक्ति के निर्धारित दाता होने की पुष्टि के बाद भी अंगों या टिशूज के दान के लिये परिवार की सहमति आवश्यक है। कोई भी प्रक्रिया शुरू करने से पहले अस्पताल करीबी संबंधी की अनुमति लेते हैं।

अगर आपकी उम्र 18 वर्षों से कम है, तो आप जीवित अवस्था में अपने अंगों का दान नहीं कर सकते। लेकिन 18 वर्षों से कम उम्र के व्यक्ति के मस्तिष्क मृत होने की स्थिति में, अंग दान के लिये उसके माता–पिता की अनुमति आवश्यक है। बच्चों को भी अंगों के ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, और अक्सर उन्हें वयस्कों से छोटे अंगों की ज़रूरत होती है।

चाहे आपने अपने अंगों का दान करने की स्वीकृति दी हो या नहीं, आपको दिये गये चिकित्सीय उपचार में कोई अंतर नहीं आयेगा। अंगों का दान तभी किया जा सकता है जब ब्रेन स्टेम डेथ कमिटी में डायरेक्टर ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज़ के साथ पंजीकृत फ़िज़िशियन्स द्वारा मस्तिष्क मृत होने की घोषणा की गयी हो, जो किसी भी रूप में प्राप्ति या ट्रांसप्लांट टीमों से जुड़े न हों।

आपका इलाज करने वाले प्रमुख डॉक्टर का ट्रांसप्लांटेशन से कोई संबंध नहीं होगा।

## दान की प्रक्रिया

### चरण 1

एक इंटेसिविस्ट प्रत्येक भावी दाता की चिकित्सीय जाँच करते हैं और प्रत्येक अंग की चिकित्सीय योग्यता का मूल्यांकन करते हैं। वह मरीज़ की चिकित्सीय स्थिति और इतिहास की पूरी जानकारी लेते हैं।

### चरण 2

मरीज़ के चिकित्सीय रूप से मस्तिष्क मृत पाये जाने पर वह मरीज़ के स्थिति उनके करीबी रिश्तेदारों को स्पष्ट करते हैं।
और उन्हें निम्नलिखित विकल्प देते हैं:

- रीससिनेट (पुनर्जीवित) न करें (डीएनआर)
- सामान्य उपचार जारी रखें
- अंग दान

### चरण3

रिश्तेदारों से अंग दान की मौखिक अनुमति मिलने के बाद ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर की भूमिका शुरू होती है।

### चरण 4

मस्तिष्क मृत व्यक्ति के मामले में, इंटेसिविस्ट और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर भावी दाता के करीबी संबंधी से मिलते हैं। अगर रिश्तेदार दान की अनुमति दे, तो वे अंगदान की प्रक्रिया, प्रक्रिया में लगने वाले समय और दान किये जाने वाले अंगों की जानकारी देते हैं। सभी करीबी रिश्तेदारों से अंग दान की सहमति मिलने के बाद ही इंटेसिविस्ट जाँच शुरू करते हैं।

### चरण 5

इंटेसिविस्ट सबसे पहले मरीज़ का ऐप्निया टेस्ट करते हैं। ऐप्निया टेस्ट में पता चलता है कि मस्तिष्क सचमुच मृत है या नहीं। इसमे मरीज़ की बारीकी से जाँच की जाती है, जिसके लिये पूरा वेंटिलेटर सपोर्ट अस्थायी रूप से हटा दिया जाता है और कार्बन डाय ऑक्साइड (Paco2) के स्तर को बढ़ने दिया जाता है। सकारात्मक जाँच का अर्थ है श्वसन के प्रयासों का बिल्कुल मौजूद न होना।

### चरण 6

पहली जाँच के छः घंटे बाद, दूसरी जाँच की जायेगी। अगर दोनों ही जाँचों में मस्तिष्क को मृत पाया गया, तो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर मरीज़ के रिश्तेदारों से एक स्वीकृति फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिये कह सकते हैं, जिसपर व्यक्त होगा कि वे किन अंगों का दान करना चाहते हैं।

### चरण 7

अंग प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑपरेटिंग थिएटर में संपन्न की जाती है, जहाँ पर दाता का इलाज किया जा रहा हो। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर प्राप्ति टीमों से उनके आगमन और प्रस्थान के विषय पर बात करता है और अंग दान के लिये आवश्यक अन्य औपचारिकताओं को पूरा करता है। प्राप्ति टीम में सर्जन्स, नर्सेज़, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर और एक ऑर्गन प्रिज़र्वेशन टेक्नीशियन का समावेश होता है।

### चरण 8

दाता के शरीर से निकाले जाने से ठीक पहले प्रत्येक अंग को बेहद ठंडे प्रिज़र्वेशन सोल्यूशन से थोया जाता है। इसके बाद अंगों को पानी की बर्फ के साथ निष्कीटित कंटेनर्स में रख कर प्राप्तकर्ता के ट्रांसप्लांट सेंटर में ले जाया जाता है।